



प्रेस नोट- दिनांक 28.09.203
थाना हसनगंज ,जनपद उन्नाव ।

- 24 घण्टे के अंदर सनसनीखेज लूट की घटना का हुआ खुलासा
- लूटे गये युवक का मामा का लड़का ही निकला लूट का साजिशकर्ता
- तीन शातिर लुटेरे लूट के 10 लाख 50 हजार रुपये के साथ गिरफ्तार
- लूट में प्रयोग की गई SUV कार, एक वैगनआरकार, दो तमंचे मय चार कारतूस व 07 मोबाइल फोन बरामद
- स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, थाना दही पुलिस व थाना हसनगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा किया गया घटना का खुलासा

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एस.ओ.जी./सर्विलांस टीम, थाना हसनगंज पुलिस एवं थाना दही पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26/27.09.2023 को थाना हसनगंज क्षेत्रांतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर घटित लूट की घटना का 24 घण्टे के अंदर खुलासा करते हुए साजिशकर्ता ममरे भाई सहित तीन शातिर लुटेरों को कब्जे से लूट के कुल 10 लाख 50 हजार रुपये, लूट में प्रयुक्त SUV कार UP 78 DD 0501 व एक अन्य वैगन आर कार UP 32 RN 8648, 02 अदद तमंचा 12 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 07 अदद मोबाइल फोन्स बरामद कर गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 27.09.2023 को प्लाइवुड व्यापारी श्री अशोक पाल पुत्र देवीप्रसाद निवासी ग्राम आसत मोहिद्धीनपुर थाना बांगरमऊ उन्नाव द्वारा थाना हसनगंज पर तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 26.09.23 को मेरा मुनीम शोभित मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा निवासी कस्बा बांगरमऊ जिला उन्नाव जो अपने दोस्त सुधीस कुमार पुत्र श्रीपाल निवासी गौरड्या खुर्द आसत मोहिद्धीनपुर के साथ काम के लिए लखनऊ गया था। लखनऊ से मेरा मुनीम शोभित उपरोक्त रुपये 1498000/- लेकर एक प्राइवेट गाडी SUV UP78 DD 0501 से बांगरमऊ आ रहे थे। जिसमें पहले से ड्राइवर सहित तीन व्यक्ति थे जिन्होंने आगरा एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा को पार करते ही हमारे मुनीम और उसके साथी से मारपीट की तथा रुपये छीन लिये और मेरे मुनीम व उसके दोस्त को उतार दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हसनगंज पर मु0अ0सं0 304/23 धारा 394 भा0दं0वि0 बनाम उपरोक्त कार सवार तीन अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में घटना के शीघ्र अनावरण हेतु एसओजी, सर्विलांस व अन्य टीमों को शक्रिय किया गया। 24 घण्टे के अंदर स्वाट प्रभारी निरीक्षक

श्री देवी प्रसाद तिवारी मय हमराह टीम, प्रभारी निरीक्षक हसनगंज श्री राजेश सिंह, थानाध्यक्ष दही श्री अनुराग सिंह मय हमराह फोर्स एवं सर्विलांस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. बीरू सिंह चन्देल उर्फ धीरू पुत्र राजा सिंह नि0 ग्राम इटारा थाना सचेन्डी कानपुर नगर 2. निखिल अवस्थी पुत्र नरेश अवस्थी नि0 ग्राम जहानपुर थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर को लूट के 07 लाख रुपये व अवैध 02 अदद तमंचे 12 बोर व 04 अदद जिंदा कारतूस व 06 अदद मोबाइल फोन तथा घटना मे प्रयुक्त गाड़ी SUV UP 78 DD 0501 को बरामद किया गया तथा मौके पर कुलदीप सिंह शेष लूटे हुए रुपये लेकर पुलिस को देखकर भागा, जिसका पुलिस द्वारा पीछा किया गया परन्तु भागने में सफल रहा । पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि घटना का षड़यंत्र नवीन बाजपेयी पुत्र रजनीश बाजपेयी नि0 रसूलपुर रुरी थाना बेहटामुजावर जनपद उन्नाव के द्वारा अपने साथी कुलदीप सिंह चन्देल पुत्र पप्पू सिंह चन्देल नि0 ग्राम जामू थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर के साथ रची थी तथा नवीन बाजपेयी जो अपने हिस्से के साढे तीन लाख रुपया लेकर अपनी गाड़ी वैगन आर UP 32 RN 8648 से घर चला गया है । इस सूचना पर थाना हसनगंज पुलिस टीम द्वारा नवीन बाजपेयी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गय, जिसके कब्जे से लूट के 03.50 लाख रुपये व वैगन आर कार UP 32 RN 8648 तथा एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है । पूछताछ में अभियुक्त नवीन बाजपेयी उपरोक्त द्वारा बताया गया कि शोभित मिश्रा मेरी बुआ का लड़का है, मैने ही कुलदीप सिंह चन्देल व उनके साथियों के साथ इस लूट की घटना का षड़यंत्र रचा था तथा मेरे द्वारा ही शोभित द्वारा लाये जा रहे रुपयों की सूचना दी गयी थी व उसी सूचना पर कुलदीप व उनके साथीगण द्वारा शोभित व सुधीस उपरोक्त को मारपीट कर 14 लाख 98 हजार रुपये लूटे थे । अभियुक्तगण से बरामद की गयी दोनो चार पहिया गाड़ियों को सीज किया गया तथा साक्ष्य संकलन तथा लूट के रुपयों की बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 411/120 बी भादवि की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तगण 1. बीरू सिंह चन्देल उर्फ धीरू पुत्र राजा सिंह नि0 ग्राम इटारा थाना सचेन्डी कानपुर नगर 2. निखिल अवस्थी पुत्र नरेश अवस्थी नि0 ग्राम जहानपुर थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर के कब्जे से बरामद हुए अवैध तमंचो व कारतूस के आधार पर इनके विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 305/23 व 306/23 धारा 3/25 आर्म्स अधि0 के अभियोग पंजीकृत कराये गये । शेष वांछित अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. बीरू सिंह चन्देल उर्फ धीरू पुत्र राजा सिंह उम्र 27 वर्ष नि0 ग्राम इटारा थाना सचेन्डी कानपुर नगर ।
2. निखिल अवस्थी पुत्र नरेश अवस्थी उम्र 26 वर्ष नि0 ग्राम जहानपुर थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर ।
3. नवीन बाजपेयी पुत्र रजनीश बाजपेयी उम्र 28 वर्ष नि0 रसूलपुर रुरी थाना बेहटामुजावर जनपद उन्नाव ।

बरामदगी का विवरण:-

1. लूट के कुल 10 लाख 50 हजार रुपये ।
2. लूट में प्रयुक्त XUV कार UP 78 DD 0501 व एक अन्य वैगन आर कार UP 32 RN 8648
3. 02 अदद तमंचा 12 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
4. 07 अदद मोबाइल फोन्स

गिरफ्तार करने वाली थाना हसनगंज पुलिस टीम-

1. श्री राजेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना हसनगंज जनपद उन्नाव ।
2. निरीक्षक अपराध श्री सियाराम राजपूत थाना हसनगंज जनपद उन्नाव ।

3. उ०नि० श्री बीरेन्द्र सिंह थाना हसनगंज जनपद उन्नाव ।
4. उ०नि० श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना हसनगंज जनपद उन्नाव ।
5. उ०नि० श्री खुशाल प्रसाद थाना हसनगंज जनपद उन्नाव ।
6. हे०का० रामपाल थाना हसनगंज जनपद उन्नाव ।
7. हे०का० राजेश कुमार राय थाना हसनगंज जनपद उन्नाव ।
8. हे०का० मृत्युन्जय प्रसाद थाना हसनगंज जनपद उन्नाव ।
9. का० शाहे आलम थाना हसनगंज जनपद उन्नाव ।
10. का० चा० नरेन्द्र यादव थाना हसनगंज जनपद उन्नाव ।

गिरफ्तार करने वाली थाना दही पुलिस टीम-

1. श्री अनुराग सिंह थानाध्यक्ष थाना दही जनपद उन्नाव ।
2. हे०का० ज्ञान सिंह थाना दही जनपद उन्नाव ।
3. हे०का० रामदेव प्रजापति थाना दही जनपद उन्नाव ।
4. का० अंकुर तोमर थाना दही जनपद उन्नाव ।
5. का० कृष्ण प्रताप थाना दही जनपद उन्नाव
6. का० विजय थाना दही जनपद उन्नाव ।
7. का० चा० इमरान अहमद थाना दही जनपद उन्नाव ।

गिरफ्तारी करने वाली स्वाट टीम का विवरण:-

1. श्री देवी प्रसाद प्रभारी स्वाट टीम जनपद उन्नाव ।
2. हे०का० सुनील कुमार स्वाट टीम जनपद उन्नाव ।
3. हे०का० आशीष मिश्रा स्वाट टीम जनपद उन्नाव ।
4. का० रवि कुमार स्वाट टीम जनपद उन्नाव ।
5. का० विकास भदौरिया स्वाट टीम जनपद उन्नाव ।
6. हे०का० चा० सत्येन्द्र कुमार स्वाट टीम जनपद उन्नाव ।

सर्विलांस टीम-

हे०का० अब्दुल जब्बार





प्रेस नोट- दिनांक 28.09.2023

थाना पुरवा, जनपद उन्नाव ।

● 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 28.09.2023 को उ०नि० श्री सिया राम चौरसिया मय हमराह फोर्स द्वारा गश्त के दौरान अकरसई पुल के पास से अभियुक्त सौरभ रावत पुत्र शिवकरन निवासी मंगतखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव को 01 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना पुरवा पर मु०अ०स० 446/23 धारा 8/20 NDPS ACT बनाम सौरभ रावत पुत्र शिवकरन निवासी मंगतखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. सौरभ रावत पुत्र शिवकरन निवासी मंगतखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव

बरामदगी-

01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री सियाराम चौरसिया
2. हे०का० अविनाश कुमार ओझा
3. का० कृष्ण कुमार
4. हो०गा० 688 सुरेश कुमार





प्रेस नोट- दिनांक 28.09.2023

थाना बिहार, जनपद उन्नाव ।

• धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेजों के सहारे जमीन का बैनामा कराने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं क्षेत्राधिकारी महोदया बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिहार पुलिस द्वारा धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेजों के सहारे जमीन का बैनामा कराने वाली अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 03.11.2021 को अभियुक्ता राधा पत्नी रामसजीवन निवासी ग्राम भिटवा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव हाल पता- आजाद मार्ग कैलाश बिहार थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 52 वर्ष द्वारा वादिनी श्रीमती यासमीन पत्नी स्व० फिरोज खाँ निवासिनी ग्राम चमियानी थाना पुरवा जिला उन्नाव की जमीन को अभियुक्ता उपरोक्त द्वारा फर्जी यासमीन बनकर व फर्जी आईडी बनवाकर वादिनी उपरोक्त की भूमि को रामआसरे पुत्र शिवदत्त निवासी ग्राम कटहर पर० मगरायर तह० बीघापुर जिला उन्नाव को फर्जी रजिस्ट्री बैनामा किया गया था। जिसके संदर्भ में थाना बिहार पर मु०अ०सं० 182/2022 धारा 419/420/467/468/471/504/506/120बी भादवि पंजीकृत है। आज दिनांक 28.09.2023 को उ०नि० श्री अरुण कुमार उपाध्याय मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता राधा उपरोक्त को सुमेरपुर तिराहा भगवन्तनगर रोड से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. राधा पत्नी रामसजीवन निवासी ग्राम भिटवा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव हाल पता- आजाद मार्ग कैलाश बिहार थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 52 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० अरुण कुमार उपाध्याय थाना बिहार उन्नाव ।
2. का० जितेश कुमार थाना बिहार उन्नाव ।
3. म०का० बन्दना यादव थाना बिहार उन्नाव





प्रेस नोट- दिनांक 28.09.2023
थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव ।

● चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 28.09.2023 को उ०नि० श्री राजेश कुमार यादव मय हमराह फोर्स द्वारा थाना बांगरमऊ पर पंजीकृत मु०अ०सं० 70/23 धारा 379/411 भादवि में वांछित अभियुक्त मो० यूनूस उम्र 36 वर्ष पुत्र इस्लाम नि० गांधीनगर निकट नीरज कोल्ड स्टोर के सामने थाना तालग्राम जनपद कन्नौज को नेवलापुर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. मो० यूनूस उम्र 36 वर्ष पुत्र इस्लाम नि० गांधीनगर निकट नीरज कोल्ड स्टोर के सामने थाना तालग्राम जनपद कन्नौज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री राजेश कुमार यादव
2. हमराह कां० कमल सैनी
3. कां० सोनू यादव





प्रेस नोट- दिनांक 28.09.2023
थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव ।

● विद्युत विभाग के कर्मचारियों से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों से मारपीट करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 27.09.2023 को श्री शिवेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र गंगाराम विश्वकर्मा नि० नानामऊ रोड कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव द्वारा थाना बांगरमऊ पर तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 27.09.2023 को उच्च 1 अधिकारियों के द्वारा दिये निर्देशों के क्रम में मोहल्ला तकिया बांगरमऊ में डोर टू-डोर कम्बिंग व वसूली अभियान चलाया जा रहा था। मै धर्मेन्द्र सिंह (T.G.ii), असलम अली (T.G.ii), राहुल सैनी (संविदाकर्मी), अमित पाण्डेय (संविदाकर्मी), जयकिशोर (संविदाकर्मी) मीटर रीडर, शिवेन्द्र विश्वकर्मा के साथ समय लगभग 15.20 बजे टीम सुरेन्द्र सिंह S/O इन्द्रपाल सिंह के मकान स्थित संयोजन का विवरण मांगा गया व मीटर रीडर द्वारा विद्युत मीटर दिखाने का अनुरोध किया गया। उपभोक्ता द्वारा अपना मीटर दिखाने से मना कर दिया गया तथा उसी समय ऋतिक सिंह अपने भाई व पिता सुरेन्द्र सिंह के साथ पहुंच कर गाली गलौज करने लगे एवं लाठी डण्डो से हमारे उपर हमला कर दिया व हमारी मोटरसाइकिलों को तोड़ दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बांगरमऊ पर मु०अ०सं० 375/23 धारा 332/504/506/427 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए उ०नि० श्री विनोद कुमार मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त ऋतिक सिंह सुरेन्द्र सिंह निवासी मोहल्ला तकिया कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र 22 वर्ष को संडीला तिराहा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. ऋतिक सिंह सुरेन्द्र सिंह निवासी मोहल्ला तकिया कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री विनोद कुमार
2. का० पिन्टू वर्मा





प्रेस नोट- दिनांक 28.09.2023
थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव ।

• धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेजों के सहारे जमीन का बैनामा कराने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं क्षेत्राधिकारी महोदया बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेजों के सहारे जमीन का बैनामा कराने वाली अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 18.11.2022 को वादिनी कुसुमा देवी पत्नी स्व० छेदीलाल नि० अजयगढ़ी थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव की तहरीरी सूचना पर थाना अचलगंज पर मु०अ०सं० 338/22 धारा धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504 भादवि पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 28.09.2023 को उ०नि० लाखन सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता मंजू पत्नी स्व० भारत निवासी ग्राम बेथर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव उम्र 46 वर्ष को कोरारी मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण – मंजू पत्नी स्व० भारत निवासी ग्राम बेथर थाना अचलगंज जनपद उन्नाव उम्र 46 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.थानाध्यक्ष श्री प्रशान्त द्विवेदी
- 2.उ०नि० लाखन सिंह
- 3.का० पंकज
- 4.म०का० पुष्पा चौहान

